



Skill Development and Industrial Training Department  
Haryana, Chandigarh.  
Phone: 0172-2563005, E-mail: aaa.itiharyana@gmail.com

Issued through E-mail only

## आदेश

शिक्षता अधिनियम-1961 एवं राष्ट्रीय शिक्षता प्रोत्साहन योजना के तहत, हरियाणा राज्य में प्रतिष्ठानों के पंजीकरण एवं शिक्षकों की नियुक्ति के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिकतम प्रयास किए जा रहे हैं तथा राज्य में इस योजना का तेजी से विस्तार हो रहा है।

राष्ट्रीय शिक्षता प्रोत्साहन योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु संस्थानों में पूर्ण कालीन/स्वतंत्र रूप में कार्यरत ए0पी0ओ0, वर्ग अनुदेशक/जे0ए0पी0ओ0, अनुदेशकों की ड्यूटी भविष्य में एन0सी0वी0टी0/ एस0सी0वी0टी0 परीक्षाओं में नहीं लगाई जाएगी।

दिनांक: 19.6.2017

पंकज  
निदेशक, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण  
विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।

अशा क्रमांक:- टी0ए0/ए0पी0पी0/एजाम ड्यूटी/819-824

दिनांक:- 21-06-2017

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है:-

1. परीक्षा नियंत्रक, मुख्यालय पर।
2. प्रधानाचार्य, राजकीय आई0टी0ओ0टी0, रोहतक।
3. सभी प्रधानाचार्य/वर्ग अनुदेशक इंचार्ज, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/ राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला), हरियाणा राज्य में।
4. सभी अधिकारी मुख्यालय पर, सिवाय निदेशक महोदय।
5. नोडल अधिकारी वैबसाइट।
6. निजी सहायक/निदेशक।

संजीव वार्मा

उप-शिक्षता सलाहकार,  
कृते: राज्य शिक्षता सलाहकार एवं निदेशक  
कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण,  
विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।

8